M. 5066 ती/16

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, म.प्र.

श्री. सुनील कुमार सिंगरौल एड द्वारा आज दिनांक 11.2.16 को प्रस्तुत किया गया। 5.20 P.M.

सर्किट कोर्ट रीवा

केतकी ---आवेदिका

बनाम

सतुलिया वगैरह ---- अनावेदकगण

आवेदन पत्र बावत प्रकरण को पुनर्स्थापित कर सुनवाई में लिये जाने बावत

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) म.प्र. भू–रा.सं.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न हैं:–

1– यह कि उक्त उन्मान का प्रकरण मान्नीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, जो आज दिनांक को नियत था।

2– यह कि आवेदक/अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण पुकार के समय मान्. न्यायालय के समक्ष उप. नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में मान0 न्याया. द्वारा प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

3– यह कि आज ही पुनर्स्थापन बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।जानबूझकर उप0 हेतु लापरवाही नहीं की गई है, बल्कि पुकार के समय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण अधिवक्ता उप0 नहीं हो सके, ऐसी स्थिति में प्रकरण को पुनर्स्थापित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, अन्यथा आवेदक को अपूर्तनीय क्षति होगी और आवेदक न्याय प्राप्त करने से वंचित हो जायेगा।

अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रकरण को पुनर्स्थापित कर पुनः सुनवाई किये जाने की महान कृपा की जाय।

आवेदिका

केतकी

द्वारा/अधि.

दिनांक--11.2.16 सुनील कुमार सिंगरौल,एड. रीवा

M 5066-III/16 जिला अ[illegible]

12-2-16	1- प्रकरण प्रस्तुत।
	2- आवेदक की ओर से श्री सुनील कुमार [illegible] एड० उप०।
	3- आवेदक अभिभावक के तर्क मूल प्रकरण क्रमांक R 1668-III/13 अदम पैरवी दिनांक 11.2.16 के पुनर्स्थापन आवेदन पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया।
	4- अनावेदक अभिभावक श्री अंजनी सोनी न्यायालय में उपस्थित रहे, किन्तु पुनर्स्थापन की प्रति प्राप्त करने से इंकार किया।
	5- आवेदक अभिभावक द्वारा बताया गया कि मूल प्रकरण में दिनांक 11.2.16 को उपस्थित होने में जान बूझ कर लापरवाही नहीं की गई है, बल्कि पुकार के समय अन्य न्यायालय में व्यस्त होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। चूंकि आवेदक अभिभावक द्वारा दिनांक 11.2.16 को पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा अनावेदक अभिभावक श्री अंजनी सोनी को इसकी जानकारी थी तथा उन्होंने आवेदन की प्रति प्राप्त नहीं किया। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन आवेदन दिनांक 11.2.16 समय-सीमा में प्रस्तुत किया गया है। अतएव मूल प्रकरण क्र 1668 III/13 अदम पैरवी दिनांक 11.2.16 पुनः नम्बर पर लिया जाता है। तदनुसार मूल प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जावे।

6- प्रकरण पंजी से समाप्त होकर द.द.हो। सदस्य.

[कृ. प. उ.